संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2556654, Fax 0755-2556654
Email:- shakha6@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक– 12/01/2021

क्रमांक / शि–06 / शिवपुरी / 2021 / 731 श्री के.के. पटेरिया, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा दिनांक 11.03.2019 से 31.08.2020 तक की पदस्थापना अवधि के दौरान प्रार्थी रामश्री ओझा को जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक अंतर्गत पात्र हितग्राही के रूप में चयनित किया जाकर दिनांक 28.03.2018 को आवास निर्माण हेतु 2,50,000/– की स्वीकृति प्रादन की गई थी, को प्रथम किश्त की शेष राशि 40,000/– का भुगतान हितग्राही के बार–बार अनुरोध करने पर भी नही किया गया।

प्रथम किश्त की शेष राशि प्राप्त न होने पर हितग्राही द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद भी श्री पटेरिया द्वारा हितग्राही के खाते में प्रथम किश्त की शेष राशि रू. 40,000/– का भुगतान नही किया गया। तथा सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर दिनांक 24.01.2020 एवं दिनांक 27.08.2020 को निराकरण का गलत विवरण दर्ज किया गया। जबकि तत्समय निकाय के पास इस मद में राशि उपलब्ध थी।

श्री के.के. पटेरिया का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 92 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त कृत्य के लिए श्री के.के. पटेरिया, तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद शिवपुरी वर्तमान पदस्थापना नगरपालिका परिषद चंदेरी जिला अशोकनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर/चंबल संभाग ग्वालियर में संलग्न किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान श्री पटेरिया को नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी, जो नगरपालिका परिषद चंदेरी जिला अशोकनगर द्वारा देय होगा।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

पृ.क्रमांक / शि–06 / शिवपुरी / 2021 / 732 भोपाल दिनांक– 12/01/2021

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, कार्यालय मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
3. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
4. संभाग आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर,
5. कलेक्टर जिला शिवपुरी/अशोकनगर, म.प्र.
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर/चंबल संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ। कृपया सात दिवस की समय सीमा में श्री के.के. पटेरिया एवं श्री जी.पी. भार्गव के विरूद्ध निर्धारित प्रारूप में आरोप पत्र, अभिकथन पत्र एवं गवाहों तथा अभिलेखों की सूची के प्रारूप प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तथा नगरपालिका परिषद चंदेरी जिला अशोकनगर में मुख्य नगरपालिका अधिकारी के प्रभार की व्यवस्था करें।
7. प्रशासक, नगरपालिका परिषद शिवपुरी/नगरपालिका परिषद चंदेरी, जिला अशोकनगर।
8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद शिवपुरी/नगरपालिका परिषद चंदेरी, जिला अशोकनगर, म.प्र.
9. संबंधित अधिकारी श्री के.के. पटेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद चंदेरी, जिला अशोकनगर।

आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.